

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्र संख्या- 1228 ग्रा0अ0वि0 / टेके0पजी0-68 / कनि0सहा0-1 / 18-19 दिनांक-7/2/2019

पंजीकरण संख्या-457 / श्रेणी-'A'-मार्ग / 2019

-: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा के पत्र संख्या-दिनांक-04-02-2019 से प्राप्त मैसर्स राकेश कुमार कान्द्रेक्टर, के "A" श्रेणी में पंजीकरण स प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स राकेश कुमार कान्द्रेक्टर (प्रोपराइटर श्री राकेश पुत्र श्री शिशुपाल सिंह), निवासी 98 बजरंग नगर, थाना सिकन्दरा, आगरा को ग्रामीण अभि विभाग मे मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'A' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपदों में मान्य होगा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(Handwritten signature)

(अनिल कुमार गर्ग)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

- 1-अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा।
- 2-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
- 3-समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4-मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5-निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- मैसर्स राकेश कुमार कान्द्रेक्टर (प्रोपराइटर श्री राकेश कुमार पुत्र श्री शिशुपाल सिंह), निवासी बजरंग नगर, थाना सिकन्दरा, आगरा (फोन न0-9412156068) (ईमेल-cont.rakesh1010@gmail.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काट इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7-अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेब पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



(प्रो. राकेश कुमार)

(Handwritten signature)
07.2.19

मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)